3/5/17 - पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण
द्वारा [illegible] [illegible] वादपत्र का [illegible]
स्वीकार किया जाकर निर्णीत किया
जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर
[illegible] आदेश निर्णय की प्रति जारी
की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दा. द. हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
बूंदी

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 58 / 2015

वाद दायरी दिनांक : 28 / 04 / 2015

निर्णय दिनांक : 03/05/2017

1. सरजूदेवी पुत्री स्व0 नानू, पत्नी स्व0 भूराराम, उम्र 65 साल, जाति जाट, निवासी मौखमपुरा, हाल निवासी खुडियाला तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. सोनीदेवी पुत्री स्व0 नानू, पत्नी पन्नाराम, उम्र 60 साल, जाति जाट, निवासी मौखमपुरा, हाल निवासी बीड़ की ढाणी, शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
3. कोयली पुत्री स्व0 नानू, पत्नी लक्ष्मण, उम्र 57 साल, जाति जाट, निवासी मौखमपुरा, हाल निवासी बीड़ की ढाणी, शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।

—— वादीनीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र नानू, जाति जाट, निवासी मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 (फौत)

1/1 कर्मचन्द पुत्र छीतर	समस्त जाति जाट निवासीगण
1/2 कुसुमलता पुत्री छीतर	मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद
1/3 कानी पत्नी छीतर	जिला जयपुर, राज0।

2. लादू पुत्र नानू, जाति जाट, निवासी मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. श्रीमती गोगादेवी पत्नी स्व0 जीवणराम, जाति जाट, निवासी मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. श्रीमती भूरीदेवी पुत्री स्व0 जीवणराम पत्नी छीतर, जाति जाट, उम्र 35 साल निवासी मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, हाल निवासी बीड की ढाणी, शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।

रीडर
प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

5. श्रीमती कमलादेवी पुत्री स्व0 जीवणराम पत्नी हनुमान, जाति जाट, उम्र 32 साल निवासी मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, हाल निवासी बीड की ढाणी, शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
6. श्रीमती भूली देवी पुत्री स्व0 जीवणराम पत्नी रामेश्वर, जाति जाट, उम्र 30 साल निवासी मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, हाल निवासी सीतारामपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
7. उपपंजीयक मौजमाबाद जिला जयपुर।
8. तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— अप्रार्थीगण

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955)

उपस्थिति — श्री मुकेश चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री राजेन्द्र सिंह आकोदा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

श्री बलवन्त सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 2 व 4

प्रतिवादी संख्या 3, 5 व 6 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 03/05/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनीगण ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 373 के आराजी खसरा नम्बर 886/492 रकबा 0.43 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खाता संख्या 116 के आराजी खसरा नम्बर 885/492 रकबा 0.43 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर, खाता संख्या 92 के आराजी खसरा नम्बर 884/492 रकबा 0.43 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर, खाता संख्या 95 के आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 1.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 2.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 1.8100 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 6.2900 हैक्टेयर, खाता संख्या 96 के आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 0.0100

Scanned by CamScanner

हेक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 562 रकबा 1.0800 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 771 रकबा 1.7300 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 3.0600 हेक्टेयर वाके ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 में स्थित हैं, जो वर्तमान में खाता संख्या 373 प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से सम्पूर्ण, खाता संख्या 16 प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पति/पिता स्व0 जीवण पुत्र नानू के नाम सम्पूर्ण, खाता संख्या 92 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण, खाता संख्या 95 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पति/पिता स्व0 जीवण पुत्र नानू के नाम हिस्सा 1/6 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, खाता संख्या 96 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 2/3 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पति/पिता 1/3 हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत वादी संख्या 1, 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2, 1/6 हिस्सा, वादीया संख्या 3, 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 1/6 हिस्सा एवं स्व0 जीवण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा अनुसार काबिज काश्त एंव खातेदार काश्तकार है तथा लगान सरकारी अपने–अपने हिस्से अनुसार जमा कराते आ रहे हैं। उपर्युक्त सजरे अनुसार पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की मौरूसी मुश्तर्का सम्पत्ति हैं। विवादित आराजीयात पक्षकारान के पूर्वज स्व0 नानू पुत्र मंगला की आराजीयात रही है, जिसका वरवक्त पर्चा सैंटलमेन्ट सम्वत 2011 में पर्चा नानू पुत्र मंगला के नाम से साबिक आराजी खसरा नम्बर 2174 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 2580, 2582, 2583 कुल किता 03 कुल रकबा 25 बीघा 05 बिस्वा हिस्सा 1/2 का जारी हुआ था, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से बखूबी साबित है, स्व0 नानू के 06 वारिसान क्रमशः जीवण, सरजू, छीतर, सोनी, कोयली, लादूराम हुये, इसलिये स्व0 नानूराम की फौती पर विवादित आराजीयात उसके सभी वारिसान के नाम से 1/6–1/6 हक व हिस्से का खुलना चाहिये था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के पति/पिता स्व0 जीवण ने राजस्व कारकुनानों से साजकर विवादित आराजीयात का स्व0 नानू का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1013 दिनांक 24/04/1975 को अकेले अपने नाम से ही बहिस्सा 1/3–1/3 के अनुसार खुलवा लिया, जो कि गलत हुआ, जबकि कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का सम्पति में स्व0 नानू के सभी वारिसान के नाम बराबर–बराबर दर्ज होना चाहिये था। जबकि मौके पर उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर

...जट एवं
...ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
...दू (जयपुर)

वादीया संख्या 1 1/6 हिस्से पर, वादीया संख्या 2 1/6 हिस्से पर, वादीया संख्या 3 1/6 हिस्से पर, प्रतिवादी संख्या 1 1/6 हिस्से पर, प्रतिवादी संख्या 2 1/6 हिस्से पर एवं स्व0 जीवण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त थे तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त चले आ रहे है। वर्तमान में जमीनों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की नीयत में फितुर उत्पन्न हो गया है, चूंकि उक्त आराजीयात अकेले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा स्व0 जीवण के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसलिये अब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा स्व0 जीवण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 उक्त आराजीयात को बेचान करने पर आमादा हैं। उपर्युक्त आराजीयात पैतृक आराजीयात होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वादीया संख्या 1, 1/6 हिस्से पर, वादीया संख्या 2, 1/6 हिस्से पर, वादीया संख्या 3, 1/6 हिस्से पर, प्रतिवादी संख्या 1, 1/6 हिस्से पर, प्रतिवादी संख्या 2, 1/6 हिस्से पर एवं स्व0 जीवण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार नाम लगनी चाहिये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा विवादित आराजीयात को चुपचाप खुर्दबुर्द करने की स्थिति को वादीयागण द्वारा भांपने पर वादीयागण ने दिनांक 17/04/2015 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 से अपना हिस्सा नाम लगवाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 साफ इन्कार हो गये तथा ऐलानिया धमकी दी कि विवादित आराजीयात हमारे नाम है जिससे हम विक्रय कर तुम्हे बेदखल कर ही दम लेंगे जिससे वादीयागण को अपने हितों की रक्षा यह वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ हैं।

वादीयागण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुयें दादरसी चाही कि वादीयागण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात में वादीया संख्या 1 को 1/6 हिस्से का, वादीया संख्या 2 को 1/6 हिस्से का, वादीया संख्या 3 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्से का एवं स्व0 जीवण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजीयात वर्णित वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वादीयागण के हिस्से की आराजी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य से करावें तथा न कब्जे काश्त से बेदखल करें तथा न ही उक्त आराजीयात को किसी

रीडर
...त प्रतिलिपि

...कलक्टर एवं
...जिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
...दू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल विक्रय आदि करें तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 10/11/2015 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह आकोदा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 06/01/2016 को प्रतिवादी संख्या 3 व 6 की प्रोपर तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 3 व 6 उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 10/02/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा मय दस्तावेज सूची किता–2 पेश की गयी जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 16/03/2016 को प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद तामिल के उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। दिनांक 17/08/2016 को वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 8 नियम 9 सी.पी.सी. पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 13/06/2016 को वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0 दी0 पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक पेश किये जाने के आदेश दिये गये। वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया। दिनांक 29/11/2016 को प्रतिवादी संख्या 1/2 व 1/3 बावजूद तामिल के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 07/02/2017 को प्रतिवादी संख्या 1/1 बावजूद तामिल के उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 22/02/2017 को तनकीयात कायम की गयी तथा वादीगण की ओर से गवाह वादी पी.डब्लयू 1 सरजूदेवी, पी.डब्ल्यू 2 हनुमान पी.डब्ल्यू 3 भंवर के शपथ–पत्र पेश हुये, जो शामिल पत्रावली किये जाकर बयान लिये गये। वकील वादीगण ओर साक्ष्य पेश न कर बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, प्रतिवादी संख्या 1 व 2, 4 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत

2071 से 2074 खाता संख्या 95 प्रदर्श पी–1, खाता संख्या 96 प्रदर्श पी–2, खाता संख्या 116 प्रदर्श पी–3, खाता संख्या 92 प्रदर्श पी–4, खाता संख्या 373 प्रदर्श पी–5, नकल नामान्तरकरण दिनांक 26/04/1975 प्रदर्श पी–6, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श पी–7, नकल पर्चा जमाबन्दी भू प्रबन्ध प्रदर्श पी–8 लगायत पी–10 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन उपरान्त तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है :–

तनकी संख्या –1 "आया विवादित आराजी वाके ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद में स्थित है, जो पक्षकारान की मौरूसी मुश्तर्का सम्पति है, जिसमें वादीनी संख्या 1 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 1/6 हिस्सा, वादीया संख्या 3 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा के अनुसार काबिज काश्त खातेदार काश्तकार हैं।"

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीनीगण के ऊपर था। वादीनीगण ने अपनी उक्त तनकी संख्या 1 को साबित करने हेतु अपने वाद–पत्र के साथ पर्चा सेटलमेन्ट सम्वत 2011 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की है, जो प्रदर्श पी–8 से प्रदर्श पी–10 हैं, जिसमें वादग्रस्त आराजीयात का पर्चा नानू वल्द मंगला के नाम से जारी होना पाया जाता है तथा वाद–पत्र में सजरा खानदान पेश किया है, जिससे भी पक्षकारान स्व0 नानू के वारिसान होना प्रमाणित होता हैं। चूंकि वादग्रस्त आराजीयात का पर्चा सम्वत 2011 में वादीगण के पिता नानूराम के नाम से आना पाया जाता है, कानून हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार नानू के वादीगण विधिक वारिसान है, इसलिये उनका वादग्रस्त आराजीयात में हक व हिस्सा बनना पाया जाता हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से भी वादग्रस्त आराजीयात में वादीनी संख्या 1, 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2, 1/6 हिस्सा, वादीया संख्या 3, 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1/1 ल. 1/3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा होना एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त होना साबित होता हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से वादीगण ने तनकी संख्या 1 को अपने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित किया है, जिससे उक्त तनकी संख्या 1 बहक वादीनीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती हैं।

तनकी संख्या–2 "आया वादीनीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी हैं।"

रीडर
प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक कलेक्टर एवं
...लक म... ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
...दू, (...यपुर)

Scanned by CamScanner

उक्त तनकी को साबित करने का भार भी वादीनीगण के ऊपर था, चूंकि तनकी संख्या 1 वादीनीगण के हक में तय की गयी है तथा वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से यह साबित हो चुका है कि कानूनन वादग्रस्त आराजीयात में वादीनीगण का हक व हिस्सा बनता है एवं वादीनीगण अपने हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त है, इसलिये वादीनीगण के कब्जे काश्त में बेजा मजाहमत उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इस प्रकार उक्त तनकी संख्या 2 को भी वादीनीगण अपने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है, जिससे उक्त तनकी संख्या 2 बहक वादीनीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या–3</u> ''आया विवादित आराजी में जमाबन्दी में जो हिस्से वर्तमान में दर्ज है, खातेदार उसी अनुसार अपने अपने हिस्से पर मौके पर विभाजन कर काबिज काश्त है तथा आराजी का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं।'' उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 के ऊपर था। प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नही किया है, जिससे यह साबित होता हो कि जो इन्द्राज वर्तमान जमाबन्दी में चला आ रहा है, वह सही हैं। न तो प्रतिवादी संख्या 1 ने इसके खण्डन में कोई दस्तावेजी, न ही मौखिक साक्ष्य पेश किये हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 की फौती पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 न तो न्यायालय में उपस्थित आये न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये, जिससे उनके विरूद्ध प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी हैं, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 अपने साक्ष्यों से तनकी संख्या 3 को साबित करने में असफल रहा हैं। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 3 बहक वादीनीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 4 ''दादरसी''

इस प्रकार तनकी संख्या 1 लगायत 3 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि सम्वत 2011 में पर्चा नानू वल्द मंगला के नाम से आया है, उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अन्तर्गत समस्त वारिसान क्रमशः जीवणराम, सरजूदेवी, छीतर, सोनी, कोयली, लादूराम के नाम से बराबर दर्ज होना चाहिये था, लेकिन स्व0 नानू की मृत्यु के पश्चात वर्णित आराजीयात केवल जीवण, छीतर, लादू के नाम से ही नामान्तरकरण संख्या 1013 दिनांक 24/04/1975 से दर्ज होना पाया जाता है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सभी के नाम से कानूनन दर्ज होनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने इकबालिया

...डर
...प्रतिलिपि
...कलक्टर एवं
...जिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
...(जयपुर)

Scanned by CamScanner

जवाबदावा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया हैं तथा उपर्युक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादीनीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी हैं, इसलिये कानूनन वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी आपत्ति प्रतीत नही होती हैं।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खाता संख्या 373 के आराजी खसरा नम्बर 886/492 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खाता संख्या 116 के आराजी खसरा नम्बर 885/492 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खाता संख्या 92 के आराजी खसरा नम्बर 884/492 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खाता संख्या 95 के आराजी खसरा नम्बर 59, 61, 62, 64 कुल किता 04 कुल रकबा 6.2900 हैक्टेयर, खाता संख्या 96 के आराजी खसरा नम्बर 71, 72, 562, 771 कुल किता 04 कुल रकबा 3.0600 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में वादीया संख्या 1 को 1/6 हिस्से का, वादीया संख्या 2 को 1/6 हिस्से का, वादीया संख्या 3 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी 1/1 ल. 1/3 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03/01/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक, दूदू

रीडर
प्रमाणित प्रतिलिपि

... कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू, जिला जयपुर
श्री त्रिलोक चन्द मीणा, आर.ए.एस.

... पुत्री रूप० नारू बनाम 1. घीसा पुत्र नारू जाति-जाट नि० ... तह० मौजमाबाद दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा मोखमपुरा (मौज.)

मुकदमा न. 58/2013 ... 11. कन्हैयालाल पुत्र घीसा *

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मुकेश चौधरी

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट प्रतिवादी क्र. 1

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादिया का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खाता 113 की आराजी ख.न. 886/492 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 है०, खा. 116 की आराजी ख.न. 885/492 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 है०, खाता नं. 92 की आराजी ख.न. 884/492 कुल किता 01 रकबा 0.4300 है०, खाता नं. 93 की आराजी ख.न. 59, 61, 62, 64 किता 04 कुल रकबा 6.2900 है०, खाता नं. 96 की आराजी ख. न. 71, 72, 582, 731 कुल किता 04 कुल रकबा 3.0600 है० वाके ग्राम **

...मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 05 सन 2017 को ...गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर
ओहदा (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
...र्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...कालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
...जह सबूत			महन्ताना वकील		
...वकील			खर्चा गवाहान		
...वाहान			फीस कमिश्नर		
...श्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...जराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
...क					
			मीजान		
मीजान					

...खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का जो डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

रीडर
प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

7) उम्र 65 साल, जाति - जाट नि० मोखमपुरा, हाल निवासी खुड़ियाला, तह० मौजमाबाद 2. सोनी देवी पुत्री स्व० नारू, पत्नी पन्नालाल, उम्र 60 साल, जाति जाट नि० मोखमपुरा हाल नि० बीड़ की ढाणी, शाडुलपुरा, तह० फुलेरा जिला जयपुर 3. कोमली पुत्री स्व० नारू पत्नी लक्ष्मण उम्र 58 साल, जाति जाट नि० मोखमपुरा हाल निवासी बीड़ की ढाणी, शाडुलपुरा, तह० फुलेरा, जिला जयपुर

वादीगण

* 1/2 कृष्णलता पुत्री छीतर, 1/3 कानी पत्नी छीतर मृतक जाति जाट नि० मोखमपुरा।

2. लादू पुत्र नारू जाति - जाट नि० मोखमपुरा 3. श्रीमति गोगादेवी पत्नी स्व० जीवणराम, जाति जाट नि० मोखमपुरा 4. श्रीमति सुवादेवी पुत्री स्व. जीवणराम पत्नी छीतर, जाति जाट, उम्र 35 साल नि० मोखमपुरा, तह० मौजमाबाद, हाल नि० बीड़ की ढाणी, शाडुलपुरा, तह० फुलेरा, 5. श्रीमति कमलादेवी पुत्री स्व० जीवणराम पत्नी हनुमान, जाति - जाट, उम्र 32 साल नि० मोखमपुरा तह० मौजमाबाद, हाल नि० बीड़ की ढाणी, शाडुलपुरा तह० फुलेरा 6. श्रीमति मूलीदेवी पुत्री स्व. जीवणराम पत्नी मोहनलाल जाति - जाट नि० मोखमपुरा, तह० मौजमाबाद हाल नि० कोलायतपुरा, तह० मौजमाबाद व अन्य विधिक प्रतिनिधि

प्रतिवादीगण

** मोखमपुरा, तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर में वादीगण क्र. 1 को 1/6 हिस्से का, वादी क्र. 2 को 1/6 हिस्से का, वादीया क्र. 3 को 1/6 हिस्से का, प्रति. क्र. 1, प्रति. 1/3 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का, प्रति. क्र. 2 को 1/6 हिस्से का, प्रति. क्र. 3 लगा. को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

सही
प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर